मूल वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, हमीरगढ
पीठासीन अधिकारीः— झंवर लाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :—14/2025 राजस्व वाद

उनवान

1. श्रीमती कमला देवी पत्नी रतन लाल बैरवा नि0 देवनारायण मंदिर के पास, हरणीकला भीलवाडा तह0 भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज.)

—— (वादी)

बनाम

1. मदन लाल दत्तक पुत्र नारायण जाति बैरवा नि0 कान्याखेडी तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार/उपंजीयन हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

——(प्रतिवादीगण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत विभाजन आराजीयात एवं स्थायी निषेद्याज्ञा

उपस्थित :: —

श्री प्रताप सिंह चौहान (अधिवक्ता वादी)

प्रतिवादीगण संख्या 01 अनु0

राज्य पक्ष की ओर से तहसीरलदार हमीरगढ

दिनांकः:—16.04.2026

वादी की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 16.04.2026 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादपत्र में विभाजन की डिक्री बहक वादी व प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती हैं कि **ग्राम कान्याखेडी** की आराजियात **पटवार हल्का खैराबाद भू0अ0नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)** बंटवारा सूची अनुसारः—

1. **श्रीमती कमला देवी बैरवा पत्नी रतन लाल बैरवा नि0 मकान नं. 00 कॉलोनी देव नारायण मंदिर के पास हरणीकलां भीलवाडा खातेदार—**

आ0न0	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	किस्म
18 का भाग	0.5395	बारानी I
कुल खसरा 1	**0.5395**	

2. मदन लाल दत्तक पुत्र नारायण जाति बैरवा सा देह खातेदार–

आ0न0	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	किस्म
18 का भाग	0.5394	बारानी I
कुल खसरा 1	**0.5394**	

3. शामलाती बदस्तुर

आ0न0	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	किस्म
18 का भाग	0.0465है0	बजंड I
कुल खसरा 1	**0.0465 है0**	

उक्तानुसार भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 के मध्य क्रम संख्या 01 से 03 अनुसार रहेगा। प्रतिवादीगण 01 को स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं नही किसी अन्य से करावें। उक्त डिक्री का नजरी नक्शा पार्ट रहेगा। तहसीलदार हमीरगढ उक्त विभाजन अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद व राजस्व नक्शे में पालना हेतु एक प्रति प्रेषित की जावे। खर्चा पक्षकारन अपना–अपना वहन करेंगें।

यह आज तारीख 16.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(झंवर लाल, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ़